न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–जगदीश आर्य

अपील संख्या 12/2024

तारीख रजू 07.03.2024

1. प्रहलाद पुत्र प्रभू गुर्जर निवासी ग्राम कराड़ी तहसील बौंली
2. सुरेश पुत्र प्रभू गुर्जर निवासी कराड़ी तहसील बौंली
3. आशाराम पुत्र प्रभू गुर्जर निवासी कराड़ी तहसील बौंली
4. हरिराम पुत्र प्रभू गुर्जर निवासी कराड़ी तहसील बौंली

– अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, बौंली

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित –श्री श्याम सुन्दर गुप्ता एड0 – अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 08.05.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, बौंली द्वारा मुकदमा नं0 642/2024 मे पारित आदेश दिनांक 14.02.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम कराड़ी के खसरा नम्बर 525, 493 रकबा 1.60 है0 किस्म गै0मु0 नाला पर संवत 2080 में फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलान्ट्स ख़ास भाई है जो कई वर्षों से अपने–अपने परिवार के साथ पृथक–पृथक घरों में रहते तथा काश्तकारी व मजदूरी कर अपना जीवनयापन करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को धारा 91 (3) का नोटिस की विधिवत तामील न होते हुए तथा सुनवाई व सबूत का कोई अवसर दिये बिना अपीलान्ट्स की गैर हाजरी दर्ज कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स का खसरा नं0 525 व 493 किस्म गै0मु0नाला वाके ग्राम कराड़ी के 1.60 है0 भूमि पर सरसों की फसल काश्त कर अथवा अन्य किसी प्रकार से सम्वत 2080 में ना ही इससे पूर्व सम्वत 2079 में कभी अतिचार किया हैं। पटवारी हल्का द्वारा अपनी मर्जी से अपीलान्ट के विरूद्ध गलत एवं निराधार रिपोर्ट पेश की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती मानते हुए निर्णय पारित किया गया है जबकि पश्चातवर्ती का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अपीलार्थीगण का आराजी जेर बहस अपील पर कोई कब्जा नहीं है और ना ही कभी भविष्य में कब्जा करने बाबत अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र पेश किया है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2024 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलार्थी को तामील होने पर भी अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 14.02.2024 को उपस्थित नहीं हुए। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नही दिया गया है मान्य नही है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय, इसके संबंध में कोई दस्तावेज, रिपोर्ट, नोटिस आदि संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना अवगत कराया हैं एवं अतिक्रमण नहीं होने तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में शपथ पत्र पेश किया है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय दिनांक 14.02.2024 में अपीलान्ट के ख0नं0 525, 493 रकबा 1.60 है0 में फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करना तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना बताया है किन्तु पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमी के संबंध में पर्याप्त तथ्य संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती होने के पुख्ता/पर्याप्त सबूत पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से मै सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति व फसल नीलामी का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 60 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08/5/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर